न्यायालय : विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 3, औरैया ।

C.N.R. No. : UPAU010006682023

विशेष सत्र परिवाद संख्या : 140/2023 ; राजबहादुर बनाम सुनील आदि ।

धारा : अभी तलबी नही हुई है । ; थाना : अजीतमल ।

जिला : औरैया ।

–

28–07–2026

पत्रावली पेश हुई । पुकार पर परिवादी राजबहादुर पूर्व की भांति आज भी अनुपस्थित है । परिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता भी उपस्थित नही आये और परिवादी का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया और न ही समय चाहने हेतु स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया ।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी राजबहादुर का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता न्यायालय के तत्कालीन विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनाँक 31–01–2023 को परिवाद के रूप मे दर्ज किया गया और पत्रावली परिवादी के साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता हेतु नियत की गयी । दिनाँक 07–10–2024 को परिवादी के ब्यान अन्तर्गत धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता लेखबद्ध किये गये और पत्रावली परिवादी के साक्ष्य अन्तर्गत धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता हेतु नियत की गयी । परिवादी पिछली अनेक नियत तिथियो से लगातार अनुपस्थित चल रहा है और आज की नियत तिथि तक धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत किसी भी गवाह को न्यायालय मे पेश नही किया गया । परिवादी पिछले अनेक नियत तिथियों से लगातार अनुपस्थित भी चल रहा है और न ही इस परिवाद की पैरवी करने के लिये परिवादी की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आ रहे है तथा समय चाहने के लिये स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया जा रहा है जिससे यही परिलक्षित होता है कि परिवादी की अपने इस परिवाद मे अब रुचि नही रह गयी है । यही सब स्थिति देखते हुए पिछली नियत तिथियो पर न्यायालय द्वारा स्पष्ट व विस्तृत आदेश पारित करते हुए परिवादी का धारा 202 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत साक्ष्य पेश करने का अवसर समाप्त किया गया और तत्पश्चात तलबी बहस किये जाने का अवसर भी समाप्त किया गया ।

इस तरह से इस परिवाद मे केवल परिवादी राजबहादुर का साक्ष्य ही उपलब्ध है, अन्य किसी साक्षी अथवा साक्षीगण की गवाही नही करायी गयी जिस कारण पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नही कराया गया जिस कारण परिवादी राजबहादुर का यह परिवाद पर्याप्त साक्ष्य के अभाव मे धारा 203 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निरस्त किया जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

परिवादी राजबहादुर का यह परिवाद पर्याप्त साक्ष्य के अभाव मे धारा 203 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत निरस्त किया जाता है । ...2

Digitally signed by MAHESH KUMAR
Date: 2026.07.28 16:38:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल–अभिलेखागार की जाये ।

(महेश कुमार)
{विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 3, औरैया ।}
[J.O. UP 6484]